दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/**फ्लाई लीफ**/**11**/2024

फ्लाई लीफ सं. 11 / 2024

ध्यान दें ..... "सर्वसंबंधित " .....

इंजन फ्लैशर लाइट के बारे में जानें

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 08.12.2000 का पत्र सं. 2000/सुरक्षा (एएंडआर)/19/44, एसआर 6.03.7, 6.02.1.14 एवं 17.09.16.3)

- प्रत्येक डीजल/इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लोको, ईएमयू, एमईएमयू, डीईएमयू और अन्य स्व-चालित यूनिटों पर फ्लैशर लाइट प्रदान की जाती हैं.
- जोन के प्रत्येक लोको पर ऑटो-फ्लैशर लाइट प्रदान की जाती है, जो एसीपी होने पर या गाड़ी के विभाजन के दौरान या बीपी दबाव में अचानक गिरावट के कारण स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगी.
- जब फ्लैशर लाइट को 'ऑन' किया जाता है, तो यह एम्बर रंग की रोशनी चमकाती है.
- लोको पायलट को फ्लैशर लाइट 'ऑन' करते समय इंजन हेड लाइट बंद कर देनी चाहिए (रात के दौरान).
- लोकोपायलट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शेड/यार्ड से लोको का कार्यभार संभालते समय यूनिट के कामकाज का परीक्षण किया जाए और लोको लॉग बुक में उचित प्रविष्टि की जाए. यदि वे खराब हैं, तो लोको/ईएमयू/एमईएमयू/डीईएमयू को शेड से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए.
- यदि यूनिट कार्य करने में विफल हो जाती है, तो ब्लॉक सेक्शन को सावधानीपूर्वक साफ किया जाएगा और इंजन को खराब माना जाएगा तथा रिलीफ लोको को बुलाया जाएगा.
- जब दुर्घटना के कारण स्टेशनों के बीच या किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है या अचानक झटका लगता है या टीएसएल कार्य के दौरान 'गलत लाइन' पर आगे बढ़ते समय या ओएचई की क्षणिक ट्रिपिंग / कोई तनाव जारी नहीं रहता है या कोई अन्य कारण जो उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने में असमर्थ बनाता है, तो लोकोपायलट तुरंत इंजन फ्लैशर लाइट को 'ऑन' करेगा और विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी के लोकोपायलट का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा.
- फ्लैशर लाइट को तभी बंद किया जाएगा, जब गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो या लोकोपायलट को यह सुनिश्चित करना हो कि निकटवर्ती लाइन, यदि कोई हो, अवरोध से मुक्त है और सहायता प्राप्त करने के लिए किसी आने वाली गाड़ी को रोकना आवश्यक नहीं है.
- विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी के लोकोपायलट को फ्लैशर लाइट देखने पर तुरंत तीन बार स्विच 'ऑन' और 'ऑफ' करके इसकी पुष्टि करनी चाहिए. उसे तुरंत अपनी गाड़ी को अवरोध से पहले रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे वह खतरे का सिगनल देखने या किसी अन्य इंजन की संकट सीटी कोड सुनने या डेटोनेटर विस्फोट करने पर करता है. फिर, उसे तुरंत अपनी गाड़ी की गति को दिन के दौरान और जब दृश्यता स्पष्ट हो / रात के दौरान और जब दृश्यता स्पष्ट न हो, **20/10** किमी प्रति घंटे तक नियंत्रित करना चाहिए. उसे ऐसी सीमित गति से (ऊपर बताई गई गति सीमाओं से अधिक नहीं) कार्य न कर रही गाड़ी के पास जाना चाहिए, जिससे वह किसी भी अवरोध से पहले अपनी गाड़ी को रोक सके. फिर उसे अपनी गाड़ी को कार्य न कर रही गाड़ी के इंजन के जितना संभव हो सके उतना पास लाना चाहिए और फ्लैशर लाइट के जलने का कारण लोकोपायलट से पता लगाना चाहिए और कार्य न कर रही/ दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए. वह अपनी यात्रा तभी जारी रखेंगे जब यह सुनिश्चित कर लेंगे कि जिस मार्ग पर वह आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं है.तथापि, यदि वह पाता है कि जिस लाइन पर उसे आगे बढ़ना है, वह अवरुद्ध है, तो गाड़ी का जीएलपी जीआर **6.03** के अनुसार अपनी गाड़ी की सुरक्षा करेगा.
- निकटवर्ती ट्रैक पर चल रही गाड़ी के लोकोपायलट को अनिवार्यतः अगले स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकनी होगी तथा घटना की तत्काल सूचना देनी होगी तथा आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी.

***

संरक्षा संगठन दक्षिण मध्य रेलवे